

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

।। आदेश ।।

थाना अध्यक्ष, बलिगाँव द्वारा दिनांक-23.07.2024 को समय 02:16 बजे अपराहन में जे0सी0बी को जप्त करने की सूचना जिला खनन कार्यालय, वैशाली के वाट्सएप्प ग्रुप एवं पत्रांक-DR No-531/2024 दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से उक्त जे0सी0बी के वाणिज्यिक उपयोग हेतु मिट्टी का खनन कर बिक्री का उल्लेख करते हुए आवश्यक जाँच की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में दिनांक-23.07.2024 को जिला खनन कार्यालय, वैशाली वाट्सएप्प ग्रुप पर समाहर्ता, वैशाली द्वारा खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली को जप्त जे0सी0बी0 के मामले में जाँच करने का निदेश मिलने पर खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा तत्कालीन खान निरीक्षक, श्री राज गौरव, जिला खनन कार्यालय, वैशाली को जाँच हेतु निदेशित किया गया। खान निरीक्षक द्वारा कटाव स्थल पर मौजूद गुजरी देवी, पति स्व सुबेलाल साह एवं मनोज सहनी से पूछताछ के आधार पर मिट्टी कटाव को वाणिज्यिक/व्यवसायिक उपयोग मानते हुए जे0सी0बी0 को जप्ती के संदर्भ में फाईन चार्ज किया गया। पुनः समाहर्ता, वैशाली के निदेश पर खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा स्वयं जाँच किया गया, तो इस संदर्भ में खनिज विकास पदाधिकारी के पत्रांक 1009 दिनांक-12.09.2024 द्वारा रंगदारीपूर्वक पैसा लेने देने संबंधित आरोप कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में प्रतिवेदित किया गया कि एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ सरकार हित एवं लोक हित में कार्य करने वाले पदाधिकारी/लोकसेवक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है तथा विषयांकित मामले में लगाया गया आरोप आधारहीन एवं असत्य है।

2. पुनः जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-795/गो0 दिनांक-25.07.2024 के अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक, यातायात वैशाली एवं अपर समाहर्ता, वैशाली के द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री राज गौरव, खान निरीक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन किया गया, जिसमें श्री राज गौरव, खान निरीक्षक पर निजी कार्य के लिए मिट्टी के उपयोग होने के संदर्भ में बिना जाँच किये निजी स्वार्थ हेतु अनैतिक रूप से राशि वसूलने हेतु इनके द्वारा जे0सी0बी को जप्त करने की कार्रवाई का आरोप लगाया गया।

आरोप पत्र के आलोक में श्री राज गौरव द्वारा बचाव अभिकथन दिनांक-09.09.2025 को विभाग को समर्पित किया गया। श्री राज गौरव, तत्कालीन खान निरीक्षक, वैशाली के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन, पुलिस अधीक्षक, वैशाली एवं अपर समाहर्ता, वैशाली के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दु के आलोक में जिला खनन कार्यालय, वैशाली से अचल-पातेपुर, हल्का-बलिगाँव, मौजा-बलिगाँव चाँद में स्थित विषयांकित भूमि के भूस्वामिस्व से संबंधित अभिलेख एवं स्थल निरीक्षणोपरांत वास्तविक रूप से मिट्टी काटे जाने के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी।

3. उक्त के आलोक में खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, वैशाली द्वारा पत्रांक-74 दिनांक-30.01.2026 से विभाग को प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया :-

1. 72' (ल0) x 15' (चौ0) x 7' (ग0) =7560 घनफीट
2. 26' (ल0) x 10' (चौ0) x 3' (ग0) =780 घनफीट

अर्थात कुल-8340 घनफीट मिट्टी का कटाव किया गया है। इस संबंध में गुजरी देवी का यह कथन कि उनके द्वारा मदद में 04 टेलर मिट्टी मनोज सहनी को दिया गया है, जो सही साबित नहीं होता है।

4. अंचल कार्यालय, पातेपुर द्वारा पत्रांक 138 दिनांक-30.01.2026 से प्रतिवेदित किया गया कि उक्त स्थल भूमि अर्थात् वैशाली जिलान्तर्गत अंचल-पातेपुर, हल्का-बलिगॉव, मौजा-बलिगॉव चांदपुरा स्थित भूमि का जमाबंदी सं०-509 है, जो बलेन्द्र चौधरी, पिता-सज्जन चौधरी के नाम से दर्ज है। इस स्थिति में गुजरी देवी, पति-सुबेलाल साह के द्वारा जमीन स्वामित्व से संबंधित किया गया दावा सही नहीं है।

श्री चन्दन कुमार, खान निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, अंचल अधिकारी, पातेपुर के भू-अभिलेख प्रतिवेदन एवं खनिज विकास पदाधिकारी के पत्र सं०-74 दिनांक-30.01.2026 द्वारा जो विभाग को प्राप्त है, के समीक्षा से श्रीमती गुजरी देवी का कथन सत्य प्रतीत नहीं होने अर्थात् स्थल पर मिट्टी का अवैध रूप से कटाव एवं भू-स्वामित्व गुजरी देवी का नहीं होना, यह स्पष्ट करता है कि उक्त स्थल पर अवैध रूप से मिट्टी खनन हो रहा था। इस प्रकार श्री राज गौरव, तत्कालीन खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, वैशाली के द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियामावली, 2021 के नियम-56(3) में निहित प्रावधान के तहत की गई है।

5. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री राज गौरव, तत्कालीन खान निरीक्षक, वैशाली सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, भोजपुर पर लगाये गये आरोप तथ्यगत प्रतीत नहीं होता है एवं श्री राज गौरव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है। अतएव श्री राज गौरव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित के नियम-14 के स्पष्टीकरण-3 में अंकित प्रावधान के तहत चेतावनी के साथ भविष्य में सचेत रहने का निदेश संसूचित किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- प्र०-II-अरा०(आ०)-34 / 2025-...../एम०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली/भोजपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- प्र०-II-अरा०(आ०)-34 / 2025-...../एम०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- उप निदेशक, अंचल कार्यालय, मुजफ्फरपुर/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, वैशाली/भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- प्र०-II-अरा०(आ०)-34 / 2025-...../एम०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- श्री राज गौरव, तत्कालीन खान निरीक्षक, वैशाली सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- प्र०-II-अरा०(आ०)-34 / 2025-5497.../एम०, पटना, दिनांक-21.08.26

प्रतिलिपि:- सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/खान निरीक्षक स्थापना शाखा/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

21.8.26